न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी : श्री प्रतापसिंह आई.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर :–30 / 2019

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 RT Act.

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. भूराराम पुत्र शेराराम जाति जाट निवासी शम्भूसर तहसील शिव जिला बाड़मेर		1. कुम्पदान पुत्र खेतदान 2. रूपदान पुत्र खेतदान 3. सीताकंवर पत्नि रूपदान जाति चारण निवासी करणीसर धारवीकला तहसील शिव जिला बाड़मेर 4. द्रोपदीकंवर पत्नि गंगाराम जाति विश्नोई निवासी लालासर तहसील सांचौर जिला जालोर 5. शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक भीयाड़ 6. तहसीलदार शिव

उपस्थित : वादीगण वकील श्री बृजमोहन कुमावत
प्रतिवादी सं. 2, 3 वकील श्री पृथ्वीसिंह भाटी

–:निर्णय :–

दिनांक 22.11.2019

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी शिव जिला बाड़मेर द्वारा दिनांक 23.09.19 को प्राथमिक डिक्री जारी की गयी थी जिसके संदर्भ में तहसीलदार शिव के पत्रांक / भू.अ. / 2019 / 3117 दिनांक 20.11.2019 द्वारा ग्राम करणीसर पटवार हल्का धारवीकला तहसील शिव के खेत खसरा नम्बर 212 रकबा 247–19 बीघा बारानी सोयम का विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। विभाजन प्रस्ताव पर वादी व प्रतिवादी वकील को सुना गया। वादीगण का वाद माफिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर खातेदारान के सामने अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से धोषित की जाती है।

क.सं.	नाम खातेदारान	ग्राम	ख. नं.	रकबा	किस्म	लगान	बरंग
1	कुम्पदान वल्द खेतदान कौम चारण सा. देह खातेदार	करणीसर	212	52–13	बा.सो.	3.16	बैगनी
2	भुराराम वल्द शेराराम कौम जाट सा. शंभूसर खातेदार	करणीसर	212	30	बा.सो.	1.80	पीला
3	रूपदान वल्द खेतदान, सीताकंवर पत्नि रूपदान कौम चारण सा. देह खातेदार द्रोपदी कंवर पत्नि गंगाराम कौम विश्नोई सा. लालासर तह. सांचोर खातेदार रहन रूपदान व सीताकंवर का हिस्सा आरएमजीबी भीयाड़	करणीसर	212	165–06	बा.सो.	9.92	भुरा

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड मे अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती में दुरूस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिले दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.11.2019 को खुले न्यायालय में सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

(प्रतापसिंह)
सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned by CamScanner

डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर शिव मुकाम शिव जिला बाड़मेर
व इजलास श्री प्रतापसिंह आई.ए.एस.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
भूराराम पुत्र शेराराम जाति जाट निवासी शम्भूसर तहसील शिव जिला बाड़मेर		1. कुम्पदान पुत्र खेतदान 2. रूपदान पुत्र खेतदान 3. सीताकंवर पत्नि रूपदान जाति चारण निवासी करणीसर धारवीकला तहसील शिव जिला बाड़मेर 4. छोपदीकंवर पत्नि गंगाराम जाति विश्नोई निवासी लालासर तहसील सांचौर जिला जालोर 5. शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक भीयाड़ 6. तहसीलदार शिव

मुकदमा नम्बर : 30/2019
राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 RT Act

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल फतई रू–ब–रू पक्षकारान व हाजरी उपस्थित मिनजानिव मुदई वादीगण वकील उपस्थित एवं प्रतिवादी वकील उपस्थित राज पेरोकार तहसीलदार शिव मनजानिव मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि तहसीलदार शिव द्वारा विभाजन प्रस्ताव दिनांक 22.11.2019 को तैयार कर प्रस्तुत किया गया। अतः विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री निम्न प्रकार की जाती है।

क्र.सं.	नाम खातेदारान	ग्राम	ख. नं.	रकबा	किस्म	लगान	बरंग
1	कुम्पदान वल्द खेतदान कौम चारण सा. देह खातेदार	करणीसर	212	52–13	बा.सो.	3.16	बैंगनी
2	भुराराम वल्द शेराराम कौम जाट सा. शंभूसर खातेदार	करणीसर	212	30	बा.सो.	1.80	पीला
3	रूपदान वल्द खेतदान, सीताकंवर पत्नि रूपदान कौम चारण सा. देह खातेदार द्रोपदी कंवर पत्नि गंगाराम कौम विश्नोई सा. लालासर तह. सांचोर खातेदार रहन रूपदान व सीताकंवर का हिस्सा आरएमजीबी भीयाड़	करणीसर	212	165–06	बा.सो.	9.92	भुरा

तहसीलदार शिव द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव की पालना अनुरूप विभाजन की अन्तिम डिक्री नक्शे मे अलग–अलग रंग दर्शाये अनुसार जारी की जाती है। उपरोक्तानुसार खातेदार के हिस्से की आराजी का नक्शा लट्टा में तरमीम करने एवम् पृथक पृथक खातेदार में दर्ज करने हेतु तहसीलदार शिव को तहरीर जारी हो। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करे।

डिक्री पर्चा मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज दिनांक 22.11.2019 को जारी किया गया।

सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

(प्रतापसिंह)
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned by CamScanner

फर्द मौका विभाजन प्रस्ताव

आज दिनांक 17/11/2019 को श्रीमान सहायक कलक्टर शिव के आदेश क्रमांक राजस्व वाद 30/2019 व श्रीमान तहसीलदार साहब शिव के आदेश क्रमांक/भू.अ./2019/2595 की पालना में जरिए प्राथमिक डिक्री मौजा करणीसर के खसरा नं. 212 में विभाजन प्रस्ताव बनाने मौके पर पहुंचा। मौके पर वादी एवं प्रतिवादीगण तथा सेढा पाड़ौसियान के रूबरू कब्जा काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया जो निम्नानुसार है।

वर्तमान जमाबंदी अनुसार

खातेदार	ख.नं.	रकबा	किस्म	लगान
(1) रूपदान कुंपदान पि. खेतदान सीताकंवर पत्नी रूपदान कौम चारण सा. देह द्रोपदीकंवर पत्नी गंगाराम कौम विश्नोई सा. लालासर तह. सांचौर भुराराम वल्द शेराराम कौम जाट सा. शंभुसर खातेदार रहन- रूपदान व सीताकंवर का हि. RMGB Bhiyad	212	247-19	बारानी	14.88

विभाजन प्रस्ताव अनुसार

खातेदार	ख.नं.	रकबा	किस्म	लगान
(1) कुंपदान वल्द खेतदान कौम चारण सा. देह खातेदार	212	52-13	बारानी	3.16
(2) भुराराम वल्द शेराराम कौम जाट सा. शंभुसर खातेदार	212	30	बारानी	1.80
(3) रूपदान वल्द खेतदान सीताकंवर पत्नी रूपदान कौम चारण सा. देह द्रोपदीकंवर पत्नी गंगाराम कौम विश्नोई सा. लालासर तह. सांचौर खातेदार रहन-रूपदान व सीताकंवर का हि. RMGB Bhiyad	212	165-06	बारानी	9.92

फर्द मौका रूबरू मौतबरान को पढकर सुनाया व उपस्थित खातेदारान व सेढा पड़ौसियान के अंगूठे हस्ताक्षर करवाए गए।

तहसीलदार शिव (बाड़मेर)

रूपदान (प्रतिवादी G.2) कुंपदान (प्रतिवादी-1) भुराराम (वादी) प. धारवीकला 17/11/19

अनि. सीताकंवर (प्रतिवादी 3)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratap Singh
Date: 2020.01.10 16:06:55 IST
Reason: SelfAttested
Location: